

प्रेषक,

श्रीमती राजेश्वरी टोलिया,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, कक्ष संख्या-1, सीतापुर

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, सीतापुर।

विषय-परिपत्र संख्या 25/एडमिन (ए) दि० 13 जुलाई, 1998 के तहत सूचना/सरकारी कर्मचारीगण आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के तहत अचल सम्पत्ति (प्लॉट) को क्रय किये जाने की हेतु प्रार्थनापत्र।

महोदय,

परिपत्र संख्या 25/एडमिन (ए) दि० 13 जुलाई, 1998 के अनुक्रम में मेरा विवरण इस प्रकार है कि-

- 1- सेवा में नियुक्ति का दिनांक- **15.01.2004**
- 2- वर्तमान में कुल वेतन तथा कटौती उपरान्त प्राप्त आय-
1,70,422/- तथा 1,25,022/-
- 3- क्रयों का विवरण- न्यायिक सेवा में नियुक्ति के बाद मु० 10,000/रूपये से अधिक का कोई क्रय नहीं किया गया
- 4- माननीय उच्च न्यायालय से कोई ऋण लिया गया- **नहीं**
- 5- किसी बैंक से लोन लिया- **हाँ, भारतीय स्टेट बैंक, हाथरस से कार लोन लिया गया, जिसकी प्रति माह किश्त मु० 20,000 रू० है, उक्त के सम्बन्ध में सूचना पूर्व में नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय को दि० 22.12.2018 को प्रेषित की जा चुकी है।**

Rajeshwari Tolia
14.07.2020

6- कोई सेकेण्ड हैंड कार खरीदी- नहीं

7- क्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण-

खसरा नं० 1193, क्षेत्रफल 3150

स्कवा0फिट (50 x 63) स्थित ग्राम

मुखानी, परगना भवरछा खाता,

तह० हल्द्वानी, जिला नैनीताल

(उत्तराखण्ड)

8- विक्रेता का नाम तथा पूर्ण पता-

श्री लक्ष्मी चन्द्र कपूर पुत्र

श्री अर्मारचन्द्र कपूर, निवासी

भोलानाथ गार्डन हल्द्वानी, तहसील

हल्द्वानी, जि. नैनीताल (उत्तराखण्ड)

9- क्या विक्रेता नियमित व सम्मानित

व्यक्ति है-

प्राइवेट व्यक्ति

10- क्या न्यायिक अधिकारी का विक्रेता से

किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है और

विक्रेता का कोई मुकदमा विचाराधीन है

अथवा निर्णीत किया गया है-

नहीं

11- धनराशि का श्रोत व उससे सम्बन्धित प्रपत्र-

क्रय किये जाने वाले प्लाट की कीमत मु० 33,82,000 रुपये है, मेरे द्वारा विक्रेता को बतौर अग्रिम मु० 11,000 रुपये नकद दिया गया है (इकरारनामा की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ क्रम संख्या 1 के रूप में संलग्न है)। भारतीय स्टेट बैंक, शाखा काठगोदाम, हल्द्वानी द्वारा मु० 25,36,000 रुपये का ऋण 180 माह के लिये प्रदान किये जाने की सहमति की गयी है, जिसकी प्रति माह किश्त मु० 23,151 रुपये आयेगी (इस सम्बन्ध में बैंक लोन को प्रस्तावित पत्र की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ क्रम सं० 2

R. J. ShwariTeli
14-09-2020

के रूप में संलग्न है)। उक्त ऋण के अतिरिक्त शेष धनराशि मु० 8,46,000 रुपये तथा रजिस्ट्री का व्यय 3.75 प्रतिशत (महिला होने के कारण) स्टॉम्प शुल्क मु० 1,38,100 रुपये तथा अन्य खर्चे लगभग मु० 25,300 रुपये, कुल 1,63,400 रुपये व्यय होगा। उक्त धनराशि मेरे द्वारा अपने गृह जनपद में स्थित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा डीडीहाट (उत्तराखण्ड) में संचालित बचत खाता संख्या 11569241982 में मेरे द्वारा संधारित पी०पी०एफ० खाता सं० 11569314419, जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा डीडीहाट (उत्तराखण्ड) में संधारित था और 15 वर्ष के उपरान्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाने पर सम्पूर्ण धनराशि मु० 13,31,762.80 रुपये बचत खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया है। वर्तमान में मेरे उक्त बचत खाते में मु० 11,23,911.71/-रुपये उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा दिनांक 21.2.2014 को एन०एस०सी० सं० 189202 से 189206 व 009454 मु० 51,000/- रुपये पोस्ट आफिस शाहजहाँपुर से ली गयी थी, जो परिपक्व हो चुकी हैं तथा वर्तमान में जनपद सीतापुर में भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता संख्या 11106357417 संधारित है, जिसमें प्रति माह मुझे वेतन प्राप्त होता है, जिसमें कुल मु० 3,52,000/- रुपये वर्तमान में उपलब्ध है (एन०एस०सी० की छायाप्रतियों व बैंक के खाते का विवरण प्रार्थनापत्र के साथ क्रम सं० 3 के रूप में संलग्न किया जा रहा है)।

इस प्रकार ऋण के अतिरिक्त प्लॉट को क़य किये जाने में होने वाली व्यय की धनराशि तथा रजिस्ट्री का व्यय लगभग मु० 10,09,400 रुपये का भुगतान मेरे द्वारा बचत बैंक खाता व एन०एस०सी से प्राप्त धनराशि से किया

Rajeshwarin Taly
14.09.2020

जायेगा तथा प्रति माह किश्त मु0 23,191 रूपये का भुगतान अपने वेतन खाते से किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त श्रीमान जी से यह भी विनम्र निवेदन है कि मैं उत्तराखण्ड राज्य की निवासी हूँ। मैं सेवानिवृत्ति के उपरान्त अपने गृह राज्य में ही निवास करना चाहती हूँ। मेरी सेवानिवृत्ति माह नवम्बर 2028 में है।

अतः अनुरोध है कि मुझे अचल सम्पत्ति (प्लॉट) को क्रय किये जाने की अनुमति हेतु इस प्रार्थनापत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष उचित आदेशार्थ रखने की कृपा करें।

प्रार्थिनी आपकी सदा आभारी रहेगी।

दिनांक- 14.09.22

भवदीया,
Rajeshwari Tolia
14-09-2022
(श्रीमती राजेश्वरी टोलिया)

अपर प्रधान न्यायाधीश,

कुटुम्ब न्यायालय, कक्ष संख्या-1,

सीतापुर

संलग्नक-

- 1- विक्रेता से किये गये इकरारनामा की छायाप्रति
- 2- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा काठगोदाम द्वारा प्रस्तावित बैंक लोन पत्र की छायाप्रति
- 3- एन0एस0सी0 व बैंक खाते के विवरण की छायाप्रतियाँ